

आगरा नगर निगम, आगरा

कार्य का नाम- नगर निगम सीमान्तगत सभी जोनों के विभिन्न मार्गों पर स्थित विद्युत पोल (जिन पर तिरंगा एल.ई.डी. लाइट नहीं लगी है), पर कियोस्क विज्ञापन कार्य (साईज 2.5x3.5 फुट) प्रीमियम/साइटेरेंट के आधार पर विज्ञापन व्यवसाय का कार्य।

जमानत धनराशि, निविदा मूल्य एवं कार्यक्षेत्र का विवरण निम्नवत् है:-

क्र.सं0	जोन का नाम	अनुमानित कुल पोलों की संख्या	जमानत राशि (एफ.डी.आर. के रूप)	निविदा शुल्क
1	हरीपर्वत जोन	1000	5.00 लाख	5,000/-
2	ताजगंज जोन	1000	5.00 लाख	5,000/-
3	लोहामण्डी जोन	1000	5.00 लाख	5,000/-
4	छत्ता जोन	1000	5.00 लाख	5,000/-

कार्य की अवधि - स्वीकृति दिनांक से दिनांक 31.03.2023 तक

निविदा में भाग लेने की सामान्य शर्तें:-

1. कम्पनी एक्ट में पंजीकृत फर्मों के लिए तीन साल का आयकर रिटर्न, तथा बैलेंस सीट संलग्न करना अनिवार्य होगा।
2. फर्म/कम्पनी को सी.ए. द्वारा प्रमाणित आयकर रिटर्न की प्रति जमा करना होगा।
3. फर्म/कम्पनी किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग में ब्लैक लिस्ट नहीं हुई है, तथा नगर निगम आगरा के विरुद्ध कोई वाद विचाराधीन नहीं है, का शपथ-पत्र।
4. प्रस्तावित कियोस्कों पर विज्ञापन प्रदर्शन हेतु नगर निगम की स्वीकृत प्रीमियम/साइटेरेंट की दर रु. 27.87 प्रति वर्गफुट प्रति माह की प्रभावी होगी। उक्त दर से कम पर निविदा मान्य नहीं होंगी।
5. प्रस्तावित कियोस्क/विज्ञापन हेतु पट दोनों तरफ लगेगा जिस पर विज्ञापन प्रदर्शन का साइज 2.5x3.5=8.75 सम्मुख व 2.5x3.5=8.75 पृष्ठ वर्गफुट होगा।
6. फर्म/एजेन्सी द्वारा लगाये अथवा लगवाये गये कियोस्क/विज्ञापन पटों की सूची मार्गों के अनुसार नगर निगम को उपलब्ध करायेगा।
7. नगर निगम कियोस्क की टूट-फूट के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
8. फर्म द्वारा ऐसे किसी भी विद्युत पोल, जिस पर तिरंगा एल.ई.डी. लाइट लगी हो, पर कियोस्क लगाया जाता है तो उस पर ऐसे प्रति विद्युत पोल पर रु0 1000/- की दर से अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा।
9. प्रस्तावित कियोस्क/विज्ञापन हेतु स्वीकृति की दिनांक से दिनांक 31.03.2023 तक की अवधि तक के लिए प्राप्त प्रीमियम/साइटेरेंट की सम्पूर्ण अवधि (स्वीकृति दिनांक से दिनांक 31.03.2023 तक) की गणना के आधार पर वित्तीय वर्ष 2021-22 की अवधि हेतु प्राप्त धनराशि की 60 प्रतिशत धनराशि 03 दिन के अन्दर जमा कर अनुबन्ध की कार्यवाही पूर्ण करायी जायेगी तथा अवशेष धनराशि 15 दिसम्बर, 2021 तक जमा करानी होगी। वित्तीय वर्ष 2022-23 की प्राप्त धनराशि का 50प्रतिशत 15अप्रैल, 2022 तक तथा अवशेष 50प्रतिशत दो समान किशतों में विभाजित करते हुए प्रथम किशत दिनांक 15जुलाई, 2022 व द्वितीय किशत दिनांक 15 दिसम्बर, 2022 तक नगर निगम कोष में जमा कराना अनिवार्य होगा।

10. यदि फर्म द्वारा समय से प्रीमियम/साइटेरेंट का भुगतान नगर निगम को प्राप्त कराया जाता है तो नगर निगम द्वारा तद्समय प्रचलित प्रीमियम/साइटेरेंट की दर अथवा निविदा में प्राप्त दरों में 05 प्रतिशत की वृद्धि के साथ अनुबन्ध की अवधि को एक वर्ष हेतु बढ़ाये जाने पर विचार किया जा सकता है।
11. प्रत्येक क्षेत्र में विद्युत पोलों की संख्या अनुमानित: है, यह क्षेत्र में कम व अधिक भी हो सकती है।
12. क्योस्क जमीन की सतह से 2.40 मीटर की ऊँचाई पर साईज 2.5x3.5 वर्गफुट माप के लगाये जायेंगे अथवा शासन द्वारा वायलॉज के अनुसार निर्धारित माप के अनुसार लगाना होगा।
13. फर्म/एजेन्सी ऐसा कोई क्योस्क/विज्ञापन पट ऐसी कोई विज्ञापन सामग्री नहीं लगायेगा, जिससे धार्मिक/राजनैतिक/अश्लील/जन साधारण को टेस पहुंचती हो।
14. किसी भी त्रुटिपूर्ण अंकन की निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
15. किसी भी निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत किये जाने का अधिकार नगर आयुक्त, नगर निगम आगरा में निहित होगा।
16. यह निविदा स्वीकृति दिनांक से दिनांक 31.03.2023 तक के लिए होगी।
17. निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता के मुहर सहित हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे।
18. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
19. कार्यावधि के दौरान यदि भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा नया कर लगाया जाता है अथवा करों में परिवर्तन किया जाता है तो उसके सापेक्ष शासन/नगर निगम स्तर से होने वाले संसोधन/परिवर्धन की तिथि से वे प्रभावी होंगे और उस समय तक प्राविधानित नियमों की अनुमन्यता/देयता पूर्व नियमों के अनुसार ही होगी।
20. नगर निगम/राज्य सरकार/भारत सरकार की योजनाओं हेतु समय-समय पर यदि प्रचार-प्रसार नगर निगम द्वारा कराया जाता है (30 दिन एकमुश्त अथवा टुकड़ों में) तो वह निःशुल्क होगा। परन्तु योजना सम्बन्धित प्रचार-प्रसार का फ्लैक्स नगर निगम द्वारा प्रिंट कराकर उपलब्ध कराया जायेगा।

आवश्यक शर्तें:-

क्र.	मद	बांछित प्रमाण पत्र
1.	फर्म/कम्पनी के सम्बन्ध में प्रपत्र का विवरण (प्रमाण पत्र संलग्न करें)	1. कम्पनी का नाम:- 2. रजिस्ट्रेशन संख्या:- 3. रजिस्ट्रेशन तिथि:- 4. वैधता अवधि:-
2.	फर्म/कम्पनी के प्रोपराइटर का पैन नम्बर (छायाप्रति संलग्न करें)	1. नाम:- 2. पैन नं0:-
3.	फर्म/कम्पनी का (प्रमाण पत्र संलग्न करें)	पता:-
4.	फर्म/कम्पनी के प्रोपराइटर का आधार कार्ड	आधार संख्या:- (छायाप्रति संलग्न करें)
5.	जी.एस.टी. का प्रमाण पत्र (छायाप्रति संलग्न करें)	1. जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन संख्या:- 2. जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन की तिथि:-
6.	उप श्रमायुक्त कार्यालय में रजिस्ट्रेशन	1. रजिस्ट्रेशन संख्या:- 2. रजिस्ट्रेशन की तिथि:-
7.	यदि फर्म/कम्पनी/संस्था/प्रोपराइटर नगर निगम आगरा में पंजीकृत नहीं है तो रु0 2.00 लाख का डिमाण्ड ड्राफ्ट, नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा के नाम देय होगा, जो वापिस नहीं होगा तथा नगर निगम के स्टोर से रु0 1000/- जमाकर पंजीकरण फार्म प्राप्त कर उसको भरकर निविदा स्वीकृति की दशा में अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा कराना होगा।	डिमाण्ड ड्राफ्ट सं0:- निर्गत दिनांक:- धनराशि:- बैंक का नाम:-
8.	वित्तीय प्रस्ताव के साथ जमानत धनराशि की एफ.डी.आर. जो नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा के नाम के नाम बन्धक होगी, संलग्न किया जाना अनिवार्य होगी, जो निविदा के सफल होने पर नगर निगम आगरा द्वारा रख ली जायेगी तथा कार्यवाधि पूर्ण होने पर ही वापिस की जायेगी।	डिमाण्ड ड्राफ्ट सं0:- निर्गत दिनांक:- धनराशि:- बैंक का नाम:-
9.	फर्म द्वारा इस आशय का शपथपत्र संलग्न करना होगा कि फर्म प्रदेश में कहीं भी ब्लैक लिस्टेड नहीं है तथा नगर निगम आगरा के विरुद्ध कोई वाद विचाराधीन नहीं है।	सहमत:- असहमत:-
10.	निविदा स्वीकृत होने पर प्राप्त निविदा दर के आधार पर सम्पूर्ण अवधि (स्वीकृति दिनांक से दिनांक 31.03.2023 तक) की गणना के आधार पर वित्तीय वर्ष 2021-22 की शेष अवधि हेतु प्राप्त धनराशि की 60 प्रतिशत धनराशि 03 दिन के अन्दर जमा कर अनुबन्ध की कार्यवाही पूर्ण करायी जायेगी तथा अवशेष धनराशि 15 दिसम्बर, 2021 तक जमा करानी होगी। वित्तीय वर्ष 2022-23 की प्राप्त धनराशि का 50प्रतिशत 15अप्रैल, 2022 तक तथा अवशेष 50प्रतिशत दो समान किशतों में विभाजित करते हुए प्रथम किशत दिनांक 15जुलाई, 2022 व द्वितीय किशत दिनांक 15 दिसम्बर, 2022 तक नगर निगम कोष में जमा कराना अनिवार्य होगा।	सहमत:- असहमत:-
11.	दैवीय आपदा अथवा अन्य किसी दुर्घटना के कारण कोई यूनीपोल क्षतिग्रस्त होता है तो फर्म/कम्पनी को स्वयं के हर्जे-खर्चे पर उसे संतोषजनक अवस्था में लाकर अथवा नया यूनीपोल लगाकर कार्य किया जायेगा। इसके लिए नगर निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी और न ही कोई अनुकम्पा प्रदान की जायेगी।	सहमत:- असहमत:-
12.	मा0 सर्वोच्च न्यायालय/मा0उच्च न्यायालय/अन्य न्यायालय अथवा शासन स्तर से विज्ञापन के सम्बन्ध में कोई दिशा-निर्देश प्राप्त होते हैं, जिससे वित्तीय हानि-लाभ की सम्भावना होती है, के लिए भी न तो नगर निगम उत्तरदायी होगा और न ही नगर निगम कोई अनुकम्पा प्रदान करेगा तथा प्राप्त आदेशों का पालन सम्बन्धित फर्म को करना अनिवार्य होगा।	सहमत:- असहमत:-
13.	किसी भी निविदा को बिना कारण बताये स्वीकृत अथवा अस्वीकृत किये जाने का अधिकार नगर आयुक्त, नगर निगम आगरा में निहित होगा।	सहमत:- असहमत:-
14.	फर्म एवं निगम के मध्य यदि कोई विवाद होता है तो उसके निस्तारण आर्विट्रेशन एण्ड कान्सीलेशन्स एक्ट-1996 के नियम-8 व नियम-11 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी, जिस पर दोनों पक्ष सहमत होंगे।	सहमत:- असहमत:-
15.	न्यायिक विवाद की दशा में आगरा जिला सत्र न्यायालय वाद क्षेत्र होगा।	सहमत:- असहमत:-

टेण्डर फार्म

नगर निगम सीमान्तर्गत सभी जोनों के विभिन्न मार्गों पर स्थित विद्युत पोल (जिन पर तिरंगा एल.ई.डी. लाईट नहीं लगी है), पर कियोस्क विज्ञापन कार्य (साईज 2.5x3.5 फुट) प्रीमियम/साइटेन्ट के आधार पर विज्ञापन व्यवसाय का कार्य

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम, आगरा।

आगरा नगर निगम सीमान्तर्गत सभी जोनों के अन्तर्गत विभिन्न मार्गों पर स्थित विद्युत पोल (जिन पर तिरंगा एल.ई.डी. लाईट नहीं लगी है), पर कियोस्क विज्ञापन कार्य (साईज 2.5x3.5 फुट) प्रीमियम/साइटेन्ट के आधार पर विज्ञापन व्यवसाय का कार्य करने हेतु।

1. मैं उपरोक्त विषयक प्रीमियम आधारित विज्ञापन व्यवसाय कार्य करने हेतु आवेदन करना चाहता हूँ।
2. फर्म का नाम/पंजीकरण संख्या:
3. पैन/टिन कार्ड नं0 :
4. जी.एस.टी. नं0 :
5. प्रोपराइटर या फर्म के पार्टनर का नाम व पता
6. मोबाईल नं0:- 1-, 2-, 3-
लैंडलाईन नं0:-1-....., 2-, 3-
ई-मेल आईडी:-
7. जमानत की धनराशि के रूप में अंकेन रुपया (शब्दों में
.....) एफ.डी.आर. जो नगर आयुक्त, नगर निगम आगरा के नाम बन्धक हो, संलग्न है। एफ.डी.
आर. संख्या दिनांक बैंक/शाखा
8. जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र संख्या व दिनांक
9. जिलाधिकारी द्वारा निर्गत हैसियत प्रमाण पत्र संख्या व दिनांक
10. निविदादाता द्वारा शपथ पत्र देना होगा कि मेरा नाम किसी भी विभाग की काली सूची में अंकित नहीं है, का शपथ-पत्र
11. नगर निगम द्वारा प्रदत्त बकायेदारी का अदेयता प्रमाण-पत्र.....
12. मैं नगर निगम के जोन में उपरोक्त विज्ञापन व्यवसाय कार्य करने हेतु ऑनलाईन दरें अंकित कर रहा हूँ।

निविदादाता के हस्ताक्षर

घोषणा

मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा टेण्डर फार्म के साथ निविदा के नियम व शर्तों को डाउनलोड कर उनका भली-भाँति अवलोकन कर लिया गया है। मुझे समस्त शर्तें मान्य हैं एवं Online Excel Sheet में अंकित प्रीमियम/साइटेन्ट के रूप में धनराशि मेरे द्वारा भरी गयी है।

निविदादाता के हस्ताक्षर:
निविदादाता का नाम:
पिता का नाम:
पता:
..... ।